[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर 2020

अधिसूचना संख्या 31/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. (अ).- जबकि मनोनीत प्राधिकारी ने प्रारंभिक अधिसूचना संख्या 7/26/2020-डीजीटीआर दिनांक 18 अगस्त 2020 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, दिनांक 18 अगस्त 2020 में प्रकाशित किया गया, द्वारा सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (1975 की 51), (एतश्मिन पश्चात सीमा प्रशुल्क अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 9ए की उपधारा 5 की उप-धारा (1), और सीमा प्रशुल्क (क्षति निर्धारण के लिए डंप की गई मदों पर डंपिग रोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण, संग्रहण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 23 के अनुसरण में, मूल सीमा प्रशुल्क अधिनयम 1975 की पहली अनुसूची की प्रशुल्क मदों 7326 1910, 7326 1990, 7326 9099, 8708 5000, 8708 9900 के भारी और मध्यम की श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के लिए बने फ्रंट एक्सल और स्टीयरिंग नकल्स के आयातों पर या चीन गणराज्य (पिप्लस रिपब्लिक ऑफ चाइना) से निर्यातित- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) पत्रांक सा.का.नि.802(अ) की अधिसूचना संख्या 49/2015- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर 2015, और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ए की उपधारा 5 के संदर्भ में उक्त डंपिग रोधी शुल्क के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।

अब, इसलिए उक्त नियमों के नियम 18 तथा 23 के साथ पठित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना संख्या 49/2015- सीमाशुल्क (एडीडी) में, जिसे 21.10.2015 की सा.का.नि. 802(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के बाद और स्पष्टीकरण के पहले निम्न पैरा को अंत:स्थापित किया जाएगा

"3. पैरा 2 में निहित किसी बातों के बावजूद भी इस अधिसूचना के तहत आरोपित डंपिग रोधी शुल्क 30 नवम्बर 2020 और तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसे निरस्त न किया जाए इसका अतिक्रमण न किया जाए या संशोधित न किया जाए"।

[फा.सं. 354/118/2009-टीआरयू (पीटी.II)]

ज.स. कंधारी 16/10

(जैनेन्द्र सिंह कंधारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2015 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ, सा.का.नि. 802(अ), दिनांक 21 अक्टूबर 2015 के द्वारा संशोधन किया गया है।